दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: Plexh/Cir/870 17.02.2026

सभी प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए

प्रिय महोदय/महोदया,

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए के तहत प्रस्तावित पांच प्लास्टिक कच्चे माल के लिए टैरिफ उदारीकरण पर उद्योग से प्रतिक्रिया मांगने वाले हमारे पूर्व परिपत्र के संदर्भ में, हम यह नोट करते हैं कि आज तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

सदस्यों से सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में, हम निम्नलिखित प्रस्ताव रखते हैं:

1. **एचएस 39093100** - घरेलू कमी और आयात पर निर्भरता को दूर करने के लिए 10 वर्षों में धीरे-धीरे टैरिफ में कमी।
2. **एचएस 39093910** – घरेलू विनिर्माण आधार की सुरक्षा के लिए टैरिफ कटौती से बाहर रखा जाए।
3. **एचएस 39094040** – मजबूत स्थानीय उद्योग की रक्षा के लिए टैरिफ कटौती से बाहर रखा जाए।
4. **एचएस 39094050** - मजबूत स्थानीय उद्योग की रक्षा के लिए टैरिफ कटौती से बाहर रखा जाए।
5. **एचएस 39094060** - टैरिफ कटौती से बाहर रखा जाए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस उत्पाद का एक महत्वपूर्ण निर्यातक नहीं है।

यदि आपको कोई आपत्ति या वैकल्पिक विचार हैं, तो कृपया **18 फरवरी 2026 को दोपहर 12:00 बजे** तक **bharti@plexconcil.org** या **research@plexconcil.org** पर लिखें , ताकि हम उन्हें संकलित करके मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकें।

साभार

टीम प्लेक्सकॉन्सिल

संदर्भ: PIexh/Cir/864 11.02.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: अत्यावश्यक: ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले 5 पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर टैरिफ उदारीकरण के संबंध में सुझावों का अनुरोध

आपको सूचित किया जाता है कि रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग (डीसीपीसी) इस बात पर उद्योग जगत से सुझाव मांग रहा है कि क्या भारत, भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की चल रही वार्ता के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए पांच पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर टैरिफ को उदार बना सकता है।

इन पांच उत्पादों की सूची और भारत के संबंधित आयात डेटा को निम्नलिखित लिंक से देखा जा सकता है:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eo9IaQigZj_RwtHMj7zXLa4_QjZKrzTC/edit?usp=sharing&ouid=108218688201736716589&rtpof=true&sd=true

सदस्य की कार्रवाई:

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुझाव दें कि क्या भारत इन एचएस कोडों के लिए टैरिफ उदारीकरण कर सकता है और यदि हां, तो टैरिफ उदारीकरण की विधि क्या होनी चाहिए – 1) तत्काल टैरिफ उन्मूलन, 2) 5 वर्षों में चरणबद्ध टैरिफ कटौती, 3) 10 वर्षों में चरणबद्ध टैरिफ कटौती।

आप अपने सुझाव संबंधित एचएस कोड का उल्लेख करते हुए bharti@plexconcil.org या research@plexconcil.org पर भेज सकते हैं । कल दोपहर 3 बजे तक **(12 फरवरी 2026)।**

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल